कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com)

क्रमांक / आर–05 / रा.स.नि.आ. / 2015 / 218 रायपुर दिनांक : 09.03.2015

:: **आदेश** ::

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50–ख की उप–धारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा, सहकारी सोयाइटियों के निर्वाचन संचालन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को **"रजिस्ट्रीकरण अधिकारी"** नियुक्त करती है :–

क्र.	सोसाइटियों का नाम / वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पद नाम	कार्य क्षेत्र
1.	शीर्ष सोसाइटियां	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित उप / सहायक पंजीयक।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो
2.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंके	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित उप / सहायक पंजीयक।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र, जो एक जिला या एक जिला से अधिक जिलों के भीतर कार्यरत।
3.	जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जिला वृक्ष सहकारी संघ, जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार जिला सहकारी संघ, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास सोसाइटियां	संबंधित जिले के अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र किसी एक जिले के भीतर है।
4.	नागरिक सहकारी बैंके	संबंधित जिले के अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र
5.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है, किन्तु जिनका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में नहीं है।

क्रमशः : 2

क्र.	सोसाइटियों का नाम/वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पद नाम	कार्य क्षेत्र
6.	प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक।	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र
7.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां (प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियों) को छोड़कर.	संबंधित जिले के सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक।	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार कुजूर)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आर–05/रा.स.नि.आ./2015/28 — रायपुर दिनांक :09.03.2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग।
6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं समस्त जिला।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2019 / 1165 रायपुर दिनांक : 19.07.2019

:: आदेश ::

आयोग के आदेश क्र. / आर–05 / रा.स.नि.आ. / 2015 / 48, दिनांक 09.03.2015 को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 50–ख की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संचालन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को **"रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारी"** नियुक्त करती है :–

क्र	सोसाइटियों का नाम / वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	शीर्ष सोसाइटियां	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित संयुक्त / उप पंजीयक, कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर / डिप्टी कलेक्टर।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो।
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित उप पंजीयक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र, जो एक जिला या एक जिला से अधिक जिलों के भीतर कार्यरत।
3	जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जिला वृक्ष सहकारी संघ, जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार जिला सहकारी संघ, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास सोसाइटियां	संबंधित जिले के सहायक पंजीयक / अंकेक्षण अधिकारी / वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर / तहसीलदार।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र किसी एक जिले के भीतर है।
4	नागरिक सहकारी बैंक	संबंधित जिले के सहायक पंजीयक / अंकेक्षण अधिकारी / वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर / तहसीलदार।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।
5	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक / सहकारी निरीक्षक / उप अंकेक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित नायब तहसीलदार।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है, किन्तु जिनका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में नहीं है।

पेज क्रमांक....................2

क्र	सोसाइटियों का नाम / वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र
6	प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक / सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित तहसीलदार / नायब तहसीलदार।	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।
7.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां (प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियों) को छोड़कर	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक / सहकारी निरीक्षक / उप अंकेक्षक, पंचायत निरीक्षक, क्षेत्र संयोजक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मत्स्योद्योग निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, वाणिज्यकर निरीक्षक, नापतौल निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक, निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा), पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना अधिकारी, उप अभियंता	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2019 / 1165   रायपुर दिनांक : 19.07.2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
2. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. समन्वयक एवं संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com)

क्रमांक / आर–05 / रा.स.नि.आ. / 2015 / 219 रायपुर दिनांक : 09 .03.2015

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50–ख की उप–धारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा, सहकारी सोयाइटियों के निर्वाचन संचालन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम सदस्यता सूची के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु **"अपीलीय अधिकारी"** नियुक्त करती है :–

क्र.	सोसाइटियों का नाम / वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पद नाम	कार्य क्षेत्र
1.	शीर्ष सोसाइटियां	अपर / संयुक्त पंजीयक (निर्वाचन), कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो
2.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंके	संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहाकरी संस्थाएं,	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र, जो एक जिला या एक जिला से अधिक जिलों के भीतर कार्यरत।
3.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां	संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहाकरी संस्थाएं,	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है, किन्तु जिनका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में नहीं है।
4.	जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जिला वृक्ष सहकारी संघ, जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार जिला सहकारी संघ, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास सोसाइटियां	संबंधित जिले का उप / सहायक पंजीयक	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र किसी एक जिले के भीतर है।
5.	नागरिक सहकारी बैंके	संबंधित जिले का उप / सहायक पंजीयक	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र

Abe

क्रमश :......... 2

क्र.	सोसाइटियों का नाम/वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पद नाम	कार्य क्षेत्र
6.	प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले का उप/सहायक पंजीयक	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र
7.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां (प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियों) को छोड़कर.	संबंधित जिले का उप/सहायक पंजीयक	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार कुजूर)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/आर–05/रा.स.नि.आ./2015/५९ रायपुर दिनांक :०९ .03.2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग।
6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं समस्त जिला।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098, 2225107

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2019 / 295 रायपुर दिनांक : 20.02.2019

/ /आदेश / /

सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन में समिति के सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना यथासमय प्राप्त नहीं होने की शिकायत अक्सर प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप सदस्य चुनाव कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का दायित्व है कि सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन निष्पक्ष एवं पारदर्शी हों/ साथ ही सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि समितियों के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना मिलें एवं इच्छुक सदस्य निर्वाचन में भाग ले सकें।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 50–ख(10) एवं नियम 1962 के नियम 49–ट(5) के प्रावधानों के अधीन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण निर्वाचन के दृष्टिकोण से निर्देश दिये जाते हैं कि संस्था प्रबंधन द्वारा, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर को सोसाइटी के सदस्यों की सूची भेजते समय सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अंकित किये जावें।

सदस्यों को चुनाव की सूचना प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी जांच समय–समय पर रेन्डम पद्धति से आयोग द्वारा की जावेगी, साथ ही नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी स्वयं भी **SMS** द्वारा सदस्यों को निर्वाचन की जानकारी प्रेषित कर सकेंगे।

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/रा.स.नि.आ./2019/295 रायपुर दिनांक : 20.02.2019

प्रतिलिपि :–

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समन्वयक एवं अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव/अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कक्ष प्रभारी, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098, 2225107

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2019 / 296 रायपुर दिनांक : 20.02.2019

प्रति,

समन्वयक एवं अपर / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाए,...

विषय :– सहकारी संस्थाओं के बोर्ड तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रस्ताव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ एवं पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु समय–समय पर प्रस्ताव सीधे अथवा आपके स्तर से प्राप्त होते हैं ऐसे प्रस्तावों के अवलोकन करने पर प्रस्ताव अपूर्ण होने या संलग्न सदस्यता सूची में प्रविष्टियां संबंधी विभिन्न प्रकार की त्रुटियां परिलक्षित होती है। त्रुटियों के निराकरण हेतु आपको सूचना देने पश्चात् आपके माध्यम से त्रुटियों का निराकरण हो जाने उपरान्त छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार संस्था के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए आयोग द्वारा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

वस्तुतः त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव के कारण संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने में अनावश्यक विलंब होता है, साथ ही निर्वाचन हेतु नियुक्त रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की निर्वाचन प्रक्रिया नियमतः पूर्ण किया जाना आवश्यक है लेकिन यह पाया गया है कि कतिपय रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया संपादन करने में चूक की जा रही है।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्ताव एवं निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

(अ) समन्वयक एवं अपर / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, हेतु निर्देश :–

(1) संस्थाओं से निर्वाचन हेतु प्रस्ताव समन्वयक के माध्यम से ही प्रस्तुत होंगे जिनका अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपों में मूल हस्ताक्षरित, प्रस्ताव ठहराव की मूल सत्य प्रतिलिपि, प्रक्रिया शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट

मूलतः एवं उसकी एक छायाप्रति एवं उपविधि की सत्य प्रतिलिपि के साथ परीक्षण उपरांत आयोग को प्रेषित किये जावे एवं प्रेषित सम्पूर्ण प्रस्ताव की एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें जायेंगे।

(2) जिन सहकारी संस्थाओं का पंजीयन कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया गया हो अथवा जिन सहकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र एक संभाग से अधिक संभागों/सम्पूर्ण प्रदेश तक सीमित हो, उन संस्थाओं के प्रस्ताव पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, छत्तीसगढ़, रायपुर के माध्यम से प्रेषित किये जावें। इसी प्रकार जिन सहकारी संस्थाओं का पंजीयन संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा किया गया हो अथवा जिन सहकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक जिलों तक सीमित हो, उन संस्थाओं के प्रस्ताव कंडिका (अ)(1) के अधीन परीक्षण उपरांत आयोग को संभागीय संयुक्त पंजीयक के माध्यम से ही प्रेषित किये जावे।

(3) जिन सहकारी संस्थाओं में प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त है उन संस्थाओं के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उनके नाम तथा पदनाम सहित ही प्रस्तुत किये जावें।

(4) प्रत्येक संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ रा.स.नि.आ./प्र.शु./2019/294 रायपुर, दिनांक 20.02.2019 के अनुसार संस्थाओं के वर्गीकरण के आधार पर विहित प्रक्रिया शुल्क की राशि, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ को देय (वैद्य तिथि का) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जावे। यह भी सुनिश्चित करें कि तदाशय की सूचना अधिनस्थ सभी सोसाइटियों को अनिवार्य रूप से दी जा चुकी हो।

(5) सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संस्था के निर्वाचन के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन न दिया गया हो एवं संस्था के विरूद्ध अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन अथवा अधिनियम की धारा 18(क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही आपके स्तर पर विचाराधीन न हो।

(6) यदि किसी सहकारी संस्था के बोर्ड तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन करवाने के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हों तो प्रस्ताव के साथ माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावे।

(7) आवेदन प्ररूप छ–2 में संस्था के संचालक मण्डल अथवा प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन की स्थिति स्पष्ट हो।

(8) आवेदन प्ररूप छ–2 एवं सदस्यता सूची प्ररूप छ–1 में संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हों।

(9) आवेदन प्ररूप छ–2 में वांछित समस्त जानकारी कंडिकावार स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की गई हो। उदाहरणार्थ–संचालक मण्डल की बैठक तिथि, गत निर्वाचन तिथि, कार्यकाल समाप्त तिथि, प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति की तिथि, निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या आदि।

(10) आवेदन प्ररूप छ–2 के बिन्दु क्रमांक (छ) में उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त यदि संस्था के निर्वाचन हेतु अन्य सूचना जो निर्वाचन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(11) प्रत्येक संस्था के प्रस्ताव के साथ प्रक्रिया शुल्क की राशि का पृथक–पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जावे एवं प्ररूप छ–2 के बिन्दु क्रमांक (ज) में प्रक्रिया शुल्क का पूर्व विवरण स्पष्ट शब्दों में दर्शाया जावे। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर (पीछे) संस्था का नाम एवं पंजीयन क्रमांक दर्शाया जावे।

(12) सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल में हुई आकस्मिक रिक्तियां के समय यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है तो बोर्ड, जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्भूत हुई है, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्यों में से रिक्त की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7)(क) एक व द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहयोजन हेतु प्रस्ताव सदस्यता सूची सहित प्रेषित किए जावें, यदि संचालक मण्डल का कार्यकाल आधे से अधिक शेष है तो सहयोजन हेतु प्रस्ताव प्रेषित न करते हुए रिक्त पदों की संख्या अनुसार ऐसे पदो के लिए प्रारूप छ–26 सहित नये सिरे से नवीन निर्वाचन हेतु निर्धारित प्ररूपों में (सदस्यता सूची) प्रस्ताव विहित प्रक्रिया शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावे।

(13) प्रस्ताव के साथ संलग्न सदस्यता सूची निर्धारित प्ररूप छ–1 के अनुसार ही हो/तथा सूची के कॉलम निर्धारित क्रम के अनुसार ही हो एवं सूची के कॉलम क्रमांक 05 में सदस्यों के पूर्ण पते स्पष्ट रूप से प्रविष्ट हों, कालम क्रमांक 08, 09,10 रिक्त न रखा जावे एवं वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से सही प्रविष्ट की जावे। गैर संसाधन समितियों में यथा स्थिति **निरंक** जानकारी के स्थान पर (–) अंकित किया जावे। कॉलम नंबर 11 में पात्र/अपात्र अनिवार्यतः स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(14) संसाधन संस्थाओं की सदस्यता सूची के कॉलम क्रमांक 08 में उधारग्रहिता (ऋणी/अऋणी) की जानकारी, कॉलम क्रमांक 09 में व्यतिक्रमी की जानकारी, कॉलम क्रमांक 10 में निष्क्रिय सदस्यों की जानकारी एवं कॉलम क्रमांक 11 में उपविधि के अनुसार पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।

(15) संसाधन संस्थाओं की सदस्यता सूची के कॉलम क्रमांक 08 में जिन सदस्यों को अऋणी दर्शाया गया हो उनकी पात्रता का निर्धारण कॉलम 11 में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48(7) के अनुसार ही किया गया हो।

(16) सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन में समिति के सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना यथासमय प्राप्त नहीं होने के कारण सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते है। ऐसी स्थिति में सहकारी संस्थाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिये समस्त सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं की सदस्यता सूची प्ररूप छ–1 में अधिकांश/यथासंभव सदस्यों के उपलब्ध मोबाइल नम्बर भी अंकित किये जावे ताकि सदस्यों को निर्वाचन की सूचना प्राप्त होने अथवा नहीं होने की जानकारी की जांच समय–समय पर रेन्डम पद्धति से की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रा.स.नि.आ./2019/295 रायपुर, दिनांक 20.02.2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः सहकारी संस्थाओं की सदस्यता सूची प्रेषित करते समय इस आदेश का पालन किया जाना सूनिश्चित करें। इसके लिए सदस्यता सूची के निर्धारित प्रारूप छ–1 में एक अतिरिक्त कॉलम सम्मिलित किया जावे।

(17) सदस्यता सूची प्ररूप छ–1 के अन्त में सदस्यों का वर्गवार निर्धारित गोसवारा दर्शाया जाना अनिवार्य है एवं संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रशासक/प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा मूल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न भी किया जाए।

(18) जिन संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों के आधार पर होते है उनकी सदस्यता सूची निर्धारित प्ररूप छ–1 में इस हेतु निर्धारित पृथक प्ररूप में ही प्रस्तुत की जावे।

(19) जिन सहकारी संस्थाओं में संस्थाओं की उपविधि के अनुसार प्रथमतः प्रत्यायुक्तों/प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है, उन संस्थाओं में समूहों के निर्धारण हेतु पारित प्रस्ताव की कार्यवाही का विवरण प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन हेतु प्रेषित सदस्यता सूची के साथ संलग्न किया जावे।

(20) जिन सहकारी संस्थाओं में संचालको का निर्वाचन उपविधि के अनुसार संभागवार/जिलेवार/ब्लॉकवार/समूहवार होता है, उन संस्थाओं की सूची इसी आधार पर तैयार की जावे तथा प्रत्येक समूह के नीचे उस समूह का गोशवारा भी दिया जावे एवं सदस्यता सूची के अन्त में इकजाई गोशवारा दी जावे।

(21) त्रुटियों के निराकरण करवाने के पश्चात भेजे जा रहे प्रस्ताव/वांछित दस्तावेजों के साथ अग्रेषण पत्र में इस कार्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु भेजे गये पत्र का संदर्भ एवं नस्ती क्रमांक का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाय।

(22) अपने कार्यालय के ईमेल का प्रतिदिन अवलोकन करें एवं आयोग कार्यालय से ईमेल द्वारा प्रेषित किये जाने वाले पत्र/आदेशों को समय पर डाउनलोड कर नियत तिथि के पूर्व संबंधित रजिस्ट्रीकरण/रिटर्निंग अधिकारी को तामील कराना सुनिश्चित करें तथा जिस पत्र पर आपकी ओर से कार्यवाही अपेक्षित है उस पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(ब) रजिस्ट्रीकरण/रिटर्निंग अधिकारी हेतु निर्देश :-

1. सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 तथा निर्वाचन मार्गदर्शिका में वर्णित निर्धारित प्ररूपों का ही उपयोग किया जावे एवं समस्त प्ररूपों पर हस्ताक्षर के साथ अपना पूरा नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

2. सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु जारी सदस्यता सूची प्रकाशन आदेश के साथ संलग्न किए गए कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियत तिथि तक प्रकाशित सदस्यों की अन्तिम सूची (प्रत्येक पृष्ठ पर मूल हस्ताक्षरित) आयोग कार्यालय को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3. संस्थाओं के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु जारी किये जाने वाले निर्वाचन कार्यक्रम प्ररूप छ-8 में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने, नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्रों की वापसी एवं विशेष आमसभा, सहयोजन हेतु तिथि, समय एवं स्थान स्पष्ट रूप से दर्शाया जावे।

4. नामांकन/नियोजन पत्र प्राप्त करने, उनकी जांच, वापसी की कार्यवाही, सहकारी सोसाइटी नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए।

5. संस्थाओं के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन के प्रत्येक स्तर की जानकारी निर्धारित अवधि में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

6. किसी भी सहकारी संस्था की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहते हुए किसी भी न्यायालय द्वारा यदि कोई स्थगन दिया जाता है अथवा किन्ही अन्य कारणों से संस्था की निर्वाचन प्रक्रिया बाधित होती है तो इसकी सूचना अविलम्ब ईमेल द्वारा निर्वाचन आयोग कार्यालय को दी जावे एवं दूरभाष पर भी सूचित किया जावे।

(स) अपीलीय अधिकारी हेतु निर्देश :–

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1960 की धारा 50–ख की उपधारा (7) के अन्तर्गत नियुक्त अपीलीय अधिकारी को सदस्यता सूची प्रकाशन कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चयन के विरूद्ध निर्धारित तिथि तक यदि कोई अपील प्राप्त होती है तो उसकी सूचना अपील प्राप्ति की तिथि अथवा अगले कार्य दिवस को ईमेल द्वारा आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि सूचना नहीं दी जाती है तो यह माना जाकर कि निर्धारित तिथि तक कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है, संस्था के निर्वाचन की आगामी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।
2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्राप्त होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49–गग(5)(ङ) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि (सात दिवस) में अपील के निराकरण किये जाने के पश्चात् निराकरण से संबंधित आदेश को ईमेल द्वारा आयोग कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे एवं दूरभाष पर भी इसकी सूचना दें।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं इनके अंतर्गत बनाये गये नियम 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने तथा नियमानुसार निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार ही संपादित करने के लिये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे तथा निर्देशों से अपने संभाग/जिले में पंजीकृत संस्थाओं तथा अधीनस्थ कार्यपालक अधिकारियों/कर्मचारियों को एक प्रति तामिल कर उन्हें अवगत करावें एवं तदाशय का प्रमाण पत्र आयोग को प्रेषित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ एवं सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जावे। जारी निर्देश पत्र की अभिस्वीकृति एवं तामिली संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रेषित करें।

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,
रायपुर छत्तीसगढ़

क्र./रा.स.नि.आ./निर्वाचन/सा.नि./296 रायपुर, दिनांक 20.02.2019

प्रतिलिपि :–

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कक्ष प्रभारी, निर्वाचन कक्ष की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर

(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098, 2225098

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / 2018 / 3023 रायपुर दिनांक 21.12.2018

प्रति,

समन्वयक एवं संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं................................(समस्त)
छत्तीसगढ़।

विषय :– सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान, संस्थाओं के विरूद्ध अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन की कार्यवाही करने के संबंध में।

——000——

विषयांतर्गत आयोग कार्यालय को सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस कार्यालय द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारी के आदेश जारी होने के उपरान्त सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन की कार्यवाही किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः आयोग को तदाशय की सूचना देते हुए पहले इस कार्यालय के आदेश निरस्ती के पश्चात् ही ऐसी कार्यवाही किया जाना न केवल सुविधा के दृष्टिकोण से उचित है ही अपितु आयोग एवं सहकारिता विभाग के मध्य समन्वय के मद्देनजर किसी प्रकार की कानूनी अड़चनों से भी बचा जाना वांछनीय है।

कृपया सुनिश्चित करें कि यदि किसी संस्था के बोर्ड के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होकर रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रसारित किए गए हैं, ऐसी समितियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के पहले आयोग को प्रतिवेदन भेजकर, आदेशों को निरस्त कराया जाय तथा कृत कार्यवाही की संसूचना भी दी जाय।

(एन.के.सिंह)
सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / रा.स.नि.आ. / 2018 / 3023 रायपुर दिनांक : 21.12.2018

प्रतिलिपि :–

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त कक्ष प्रभारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ

22-12-2018

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

आर–05/सह./निर्वाचन/2015/ 25 रायपुर दिनांक : 16/02/2015

प्रति,

1. पंजीयक,
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
2. प्रबंध संचालक,
   राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त)
4. प्रबंधक
   जिला वनोपज सहकारी यूनियन छत्तीसगढ़ (समस्त)
5. प्रबंधक
   जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
6. प्रबंधक
   जिला सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ (समस्त)
7. प्रबंधक
   नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छत्तीसगढ़ (समस्त)
8. प्रबंधक
   प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ (समस्त)

विषय :– सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन – आचार संहिता।

–––0000–––

इस तथ्य से आप भली भांति परिचित है कि प्रदेश की सहकारी सोसाइटियों का ढांचा प्रजातांत्रिक है तथा यह सोसाइटियां सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के अंतर्गत अपने सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा काम–काज संपादित करती है। सोसाइटियों का प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने हेतु इनके बोर्ड एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन यथासमय सम्पन्न कराये जाते हैं। भारत के संविधान में हुए 97वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में संशोधन कर सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन कराने का दायत्वि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। राज्य सरकार की प्रारंभ से ही यह मंशा रही है कि सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं विधि रूप से सम्पन्न हो। लोकसभा एवं विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के समय चुनाव आयुक्त द्वारा आचार–संहिता का पालन सभी राजनैतिक दल शासकीय सेवक एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उसका पालन निष्ठापूर्वक करते है। इन सब बातों को ध्यान में

क्रमश : 2

रखते हुए प्रदेश की सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की शुद्धता में और अधिक वृद्धि करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए एक आचार संहिता आयोग द्वारा अधिसूचित की गई है। इस आचार संहिता का पालन करना, सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) और अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, को आवश्यक है।

आचार संहिता मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर सोसाइटियों के पदाधिकारियों के निर्वाचन सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। इस आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत चुनाववाद का एक प्रमुख आधार भी हो सकेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी। आचार संहिता का पालन न किया जाना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 74(ढ) के अधीन अपराध होगा, तथा अधिनियम की धारा 75(ढ) के तहत् राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये शास्तियों से दण्डित की जा सकती है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित आचार संहिता की एक प्रति संलग्न करते हुए आपसे आग्रह है कि इस आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की शुद्धता में और वृद्धि हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पी.एस. सर्पराज)
सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रासनिआ./2015/ 26 रायपुर दिनांक : 16/02/2015

प्रतिलिपि :–

1. समस्त आयुक्त, राजस्व छत्तीसगढ।
2. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
3. संभागीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
4. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट चौक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने, रायपुर

(Email : cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225107,2225098

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2018 / 1827 रायपुर दिनांक 03.07.2018

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
.....................................(समस्त)

विषय :– (1) सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन आचार संहिता।
(2) मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के विरूद्ध अपील प्रकरण।

संदर्भ :– आयोग के आदेश क्रमांक–1000, दिनांक 31.03.2018 तथा आदेश क्रमांक–1741, दिनांक 21.06.2018

––––––000–––––

विषयान्तर्गत, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, के संदर्भित आदेशों की प्रति ईमेल द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें पूर्व में सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन आचार संहिता में संशोधन तथा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के विरूद्ध अपील प्रकरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चयन के विरूद्ध होने वाली अपील की व्यवस्था संबंधी पूर्व आदेश को निरस्त कर नवीन प्रावधान जारी किए गए हैं।

उक्त आदेशों की प्रतियां पुनः इस पत्र के साथ क्रियान्वयन हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट चौक, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने रायपुर
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225098, 2225107

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2018 / 1741 रायपुर दिनांक 21 06.2018

:: आदेश ::

नियम 49-गग (ड.) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार मूलतः आयोग को दी गई है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से आयोग के आदेश क्र. / आर-05 / रा.स.नि.आ. / 2015 / 49 रायपुर दिनांक 09.03.2015 द्वारा यह अधिकार राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों में अपर पंजीयक, संभाग स्तर की सोसाइटी के लिए संयुक्त पंजीयक एवं जिला स्तरीय संस्थाओं के लिए संबंधित जिलों के उप / सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किया गया है। विगत कुछ महीनों से आयोग के समक्ष लाये गये कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि इन अपीलीय अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करते समय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप में निर्णय नहीं लिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधान के अनुरूप भी नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनावश्यक कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तथा चुनाव प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ख में आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

अतः समग्र रूप से विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि नियम 49-गग (ड.) के तहत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत एवं सुनवाई करने का अधिकार जो कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / आर-05 / रा.स.नि.आ. / 2015 / 49, दिनांक 09.03.2015 द्वारा ऊपर वर्णित अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50-ख की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा, सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन संचालन करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम सदस्यता सूची के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं :-

" रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के तीन दिन के भीतर आयोग या राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटियों के लिए अपर पंजीयक, संभाग स्तरीय सोसाइटियों के लिए संभागीय संयुक्त पंजीयक तथा जिला स्तरीय सोसाइटियों के लिए संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, के समक्ष लिखित में अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपर पंजीयक / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अपील संबंधी समस्त दस्तावेज विशेष वाहक से दो दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। आयोग द्वारा प्रकरण की विवेचना/परीक्षण पश्चात निर्णय लिया जावेगा कि अपील की सुनवाई आयोग स्तर पर की जाये अथवा अपर पंजीयक/संबंधित संभाग/जिले के अधिकारियों को निर्णय हेतु अधिकृत किया जावे। "

(डी.एस.मिश्र)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2018 / 1741 रायपुर दिनांक 21 06.2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग।
6. उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त जिला।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट चौक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने, रायपुर
(Email : cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225107,2225098

आर–05/सह./निर्वाचन/2018/1012 रायपुर दिनांक 02.04.2018

प्रति,

1. पंजीयक,
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,
   इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   राज्य स्तरीय सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, (समस्त)
4. प्रबंध संचालक,
   जिला वनोपज सहकारी यूनियन छत्तीसगढ़ (समस्त)
5. प्रबंधक,
   जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
6. प्रबंधक,
   जिला सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
7. प्रबंधक,
   नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
8. प्रबंधक,
   प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ (समस्त)

विषय :– सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन – आचार संहिता

संदर्भ :– आयोग का पत्र क्रमांक/आर–05/सह./निर्वाचन/2015/25 दिनांक 16.02.2015

——000——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिये राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा फरवरी 2015 में अधिसूचना जारी की गई थी।

जारी अधिसूचना के पैरा 2 अवधि को अधिक्रमित कर निम्नानुसार संशोधन को प्रतिस्थापित किया गया है :–

2. अवधि :–

यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारंभ होकर उसके परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण – निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से आशय–सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से होगा।

उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एन.के.सिंह)
सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

आर–05 / सह. / निर्वाचन / 2018 / 1012
रायपुर दिनांक : 02.04.2018

प्रतिलिपि :–

1. समस्त आयुक्त, राजस्व छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
3. संभागीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
4. उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
कलेक्ट्रेट चौक, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने रायपुर
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225098, 2225107

क्रमांक/रा.स.नि.आ./2018/1000 रायपुर दिनांक 31.03.2018

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन 1961) की धारा 50-ख की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना फरवरी 2015 को एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए प्रत्याशियों (उम्मीद्वारों), अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं के द्वारा पालन किये जाने हेतु संशोधित आचार संहिता अधिसूचित करता है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता

1. संहिता की परिधि :-

यह आचार संहिता उन सभी सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों/संचालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सदस्यों पर लागू होगी, जिनसे संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

2. अवधि :-

यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारंभ होकर उसके परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण - निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से आशय-सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से होगा।

3. नीतिगत निर्णय :-

सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन सम्पन्न होने तक सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जावेंगे।

4. चुनाव अभियान एवं प्रचार कार्य :-

सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी/अधिकारी एवं उनसे संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान के संचालन प्रचार में भाग नहीं लेंगे तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हैसियत या पद का लाभ किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीद्वार को न मिले। उनके द्वारा ऐसा भी कोई आचार या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे इस आशंका को बल मिले कि वे किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीद्वार की मदद कर रहे हैं।

5. यात्रा तथा वाहन का उपयोग -

सोसाइटी के अधीन वाहनों का किसी भी पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उनके द्वारा प्रकट अथवा अप्रकट रूप से भी वाहन का उपयोग आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। जिन पदाधिकारियों को वाहन आबंटित है, निर्वाचन के आख्यापन दिनांक को ही सोसाइटी में वापिस जमा कराया जावेगा।

6. कर्मचारियों का उपयोग :–

निर्वाचन के दौरान किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा सोसाइटी के किसी अधिकारी तथा कर्मचारी का निर्वाचन में सदस्यों को प्रभावित करने अथवा भ्रमण/सहयात्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जावेगा।

7. विज्ञापन :–

निर्वाचन की अवधि में सोसाइटी द्वारा सहकारी तथा जनमाध्यमों का उपयोग पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य के पक्ष में प्रचार तथा वातावरण बनाने के लिए विज्ञप्ति आदि जारी नहीं किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रकार के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

8. स्थापना संबंधी :–

किसी भी प्रकार की नियुक्तियां, तदर्थ नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, क्रमोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदस्थी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

9 नए निर्माण, नीलामी :–

निर्वाचन की अवधि में नए निर्माण, नई सम्पत्ति का उपार्जन, विक्रय आदि के कार्य नहीं किया जावेगा तथा महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जावेंगी।

10 सहकारी सोसाइटियों के अतिथि गृह :–

जिन सहकारी सोसाइटियों के द्वारा अतिथि गृह संचालित किए जा रहे हैं उनका उपयोग सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा नहीं किया जावेगा।

11 सहायकों का उपयोग :–

सहकारी सोसाइटियों द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को लिपिकीय एवं अन्य कार्य हेतु जो स्टेनो/लिपिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराये गये हैं, उन्हे निर्वाचन प्रक्रिया आख्यापन से तत्काल वापस लिया जावेगा।

12 दूरभाष/फोटोकॉपी सुविधा पर नियंत्रण :–

निर्वाचन की अवधि में सहकारी सोसाइटियों के पदाधिकारियों द्वारा सहकारी सोसाइटियों के दूरभाष/मोबाईल/फैक्स/ई–मेल/फोटो कॉपी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

13 व्यवहार में निष्पक्षता :–

सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य से व्यवहार के संबंध में पूर्ण निष्पक्षता बरती जावे। रैली, चुनाव, सभा आदि के लिये सोसाइटी के धन का उपयोग नहीं किया जावेगा। किसी भी सोसाइटी द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के विशेष रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन जारी नहीं किए जावेंगे।

14. सदस्यों को भत्ता :–

निर्वाचन हेतु आयोजित आमसभा/विशेष आमसभा में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सोसाइटी द्वारा कन्वेन्स/यात्रा भत्ता एवं उपहार आदि दिये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

15. आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही :-

इस आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाये जाने पर संबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए सक्षम अधिकारी विधि अनुकूल कार्यवाही करेंगे।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 74(ढ) के अधीन अपराध होगा, तथा अधिनियम की धारा 75(ढ) के तहत् राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये शास्तियों से दण्डित की जा सकती है।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर

(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098, 2225107

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / निर्वाचन / 2019 / 356 रायपुर दिनांक :25.03.2019

:: आधिसूचना ::

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) की धारा 50–ख की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 को एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए प्रत्याशियों (उम्मीद्वारों), अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न है, के द्वारा पालन किये जाने हेतु संशोधित "आचार संहिता" अधिसूचित करता है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता

1. संहिता की परिधि :–

यह आचार संहिता उन सभी सहकारी सोसाइटियों के, बोर्ड और उसके पदाधिकारियों / संचालकों / अधिकारियों / कर्मचारियों तथा सदस्यों पर लागू होगी, जिनसे संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

2. अवधि :–

"यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन में प्ररूप छ–8 में निर्वाचन कार्यक्रम के जारी होने के दिनांक से बोर्ड की प्रथम बैठक अर्थात् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन तक की अवधि के लिए लागू होगी। "

3. नीतिगत निर्णय :–

सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन सम्पन्न होने तक सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जावेंगे।

4. चुनाव अभियान एवं प्रचार कार्य :–

सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी / अधिकारी एवं उनसे संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान के संचालन प्रचार में भाग नहीं लेंगे तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हैसियत या पद का लाभ किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीद्वार को न मिले, उनके द्वारा ऐसा भी कोई आचार या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे इस आशंका को बल मिले की वे किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीद्वार की मदद कर रहे हैं।

5. यात्रा तथा वाहन का उपयोग :–

सोसाइटी के अधीन वाहनों का किसी भी पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, उनके द्वारा प्रकट अथवा अप्रकट रूप से भी वाहन का उपयोग आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। जिन पदाधिकारियों को वाहन आबंटित है, निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन दिनांक को ही सोसाइटी में वापिस जमा कराया जावेगा।

6. कर्मचारियों का उपयोग :–

निर्वाचन के दौरान कोई भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य, सोसाइटी के किसी अधिकारी तथा कर्मचारी को निर्वाचन में सदस्यों को प्रभावित करने अथवा भ्रमण/सहयात्रा के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

7. विज्ञापन :–

निर्वाचन की अवधि में सोसाइटी द्वारा, सहकारी क्षेत्र तथा जनमाध्यमों का उपयोग पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य के पक्ष में प्रचार तथा वातावरण बनाने के लिए विज्ञप्ति आदि जारी नहीं किया जाएगा। इस आशय के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

8. स्थापना संबंधीः–

किसी भी प्रकार की नियुक्तियां, तदर्थ संविदा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, क्रमोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदस्थी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

9. नए निर्माण, नीलामी :–

निर्वाचन की अवधि में किसी प्रकार के नए निर्माण, नई सम्पत्ति का उपार्जन, विक्रय आदि के कार्य प्रतिबंधित होगा तथा पूर्व में जारी निर्माण कार्य पूर्ण किये जाएंगे एवं महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जावेंगी।

10. सहकारी सोसाइटियों के अतिथि गृह :–

जिन सहकारी सोसाइटियों के द्वारा अतिथि गृह संचालित किए जा रहे हैं उनका उपयोग सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा नहीं किया जावेगा।

11. सहायकों का उपयोग :–

सहकारी सोसाइटियों द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को लिपिकीय सुविधा एवं अन्य कार्य हेतु जो स्टेनों/लिपिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराये गये हैं, उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया आख्यापन से तत्काल वापस लिया जावेगा।

12. दूरभाष/फोटोकॉपी सुविधा पर नियंत्रण :–

निर्वाचन की अवधि में सहकारी सोसाइटियों के पदाधिकारियों द्वारा सहकारी सोसाइटियों के दूरभाष/मोबाईल/फैक्स/ई–मेल/फोटो कॉपी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

13. व्यवहार में निष्पक्षता :–

सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य से व्यवहार के संबंध में पूर्ण निष्पक्षता बरती जावे। रैली, चुनाव, सभा आदि के लिये सोसाइटी के धन का उपयोग नहीं किया जावेगा। किसी भी सोसाइटी द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के विशेष रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन जारी नहीं किए जावेंगे।

14. सदस्यों को भत्ता :–

निर्वाचन हेतु आयोजित आमसभा/विशेष आमसभा में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सोसाइटी द्वारा कन्वेन्स/यात्रा भत्ता एवं उपहार आदि दिये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

15. आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही :–

इस आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाये जाने पर संबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए सक्षम अधिकारी विधि अनुकूल कार्यवाही करेंगे तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नियम विपरीत कार्य करने संबंधी दोषी माना जाकर जिम्मेंदारों के विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।

सचिव 25/3/15
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225098

क्रमांक/रा.स.नि.आ./निर्वाचन/2019/1165 रायपुर दिनांक : 19.07.2019

:: आदेश ::

आयोग के आदेश क्र./आर-05/रा.स.नि.आ./2015/48, दिनांक 09.03.2015 को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 50-ख की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संचालन करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को **"रजिस्ट्रीकरण/रिटर्निंग अधिकारी"** नियुक्त करती है :-

क्र	सोसाइटियों का नाम/वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	शीर्ष सोसाइटियां	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित संयुक्त/उप पंजीयक, कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/डिप्टी कलेक्टर।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो।
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	पंजीयक, सहकारी सोसाइटियां द्वारा नामांकित उप पंजीयक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र, जो एक जिला या एक जिला से अधिक जिलों के भीतर कार्यरत।
3	जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जिला वृक्ष सहकारी संघ, जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार जिला सहकारी संघ, जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास सोसाइटियां	संबंधित जिले के सहायक पंजीयक/अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र किसी एक जिले के भीतर है।
4	नागरिक सहकारी बैंक	संबंधित जिले के सहायक पंजीयक/अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार।	बैंक की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।
5	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित नायब तहसीलदार।	ऐसी सोसाइटियां जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक है, किन्तु जिनका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में नहीं है।

Mail 23-07-2019
12-04

क्र	सोसाइटियों का नाम/वर्गीकरण	नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पदनाम	कार्यक्षेत्र
6	प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियां	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित तहसीलदार/नायब तहसीलदार।	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।
7.	प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां (प्राथमिक विपणन सहकारी सोसाइटी एवं प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सोसाइटियों) को छोड़कर	संबंधित जिले के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक, पंचायत निरीक्षक, क्षेत्र संयोजक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मत्स्योद्योग निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, वाणिज्यकर निरीक्षक, नापतौल निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक, निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा), पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना अधिकारी, उप अभियंता	सोसाइटी की उपविधि में उल्लेखित कार्यक्षेत्र।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/रा.स.नि.आ./निर्वाचन/2019/1165 रायपुर दिनांक : 19.07.2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
2. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. समन्वयक एवं संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल, वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–2225098, 2225107

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2019 / 294 रायपुर दिनांक :20.02.2019

// आदेश //

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49–गग(1)(ख) के अनुसार सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन बाबत् लिखित अनुरोध के साथ ही निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा निम्न उल्लेखित कंडिका (2) की संस्थाओं हेतु कंडिका (3) में निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क विहित करता है :–

क्रमांक	संस्था का प्रकार	प्रक्रिया शुल्क
1	2	3
1.	(अ) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– उपभोक्ताभंडार / केन्टीन / दुग्ध / मत्स्य / कामगार / औद्योगिक श्रमिक / मुर्गीपालन / बुनकर / यातायात / बहुउद्देशीय / बीज उत्पादक	रूपये 500
	(ब) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– गृह निर्माण / विपणन / सहकारी मुद्रणालय / प्राथमिक कृषि साख / गैर कृषि साख / आवास प्रबंधन / वनोपज एवं अन्य प्राथमिक समितियां।	रूपये 1000
	(स) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– सहकारी शक्कर कारखाना	रूपये 5000
2.	जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं :– सहकारी संघ / सहकारी केन्द्रीय बैंक / नागरिक बैंक / जिला थोक भंडार / जिला वनोपज यूनियन	रूपये 5000
3.	राज्य / संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं	रूपये 10000

प्रक्रिया शुल्क राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, के नाम से या उसके पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निर्वाचन हेतु भेजे जाने वाले प्ररूप छ–2 के साथ अनिवार्यतः भेजा जाना एवं इसकी प्रविष्टि निर्धारित प्ररूप छ–2 की कंडिका (ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। **उक्त प्रक्रिया शुल्क दिनांक 31.03.2019 के पश्चात् से लगातार प्रस्तुत होने वाले निर्वाचन प्रस्ताव पर लागू होगा।**

(जी.एस.मिश्रा)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/रा.स.नि.आ./प्र.शु./2019/294 रायपुर दिनांक : 20.02.2019

प्रतिलिपि :—

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समन्वयक एवं अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सचिव/अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. कक्ष प्रभारी, लेखा कक्ष, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. लेखाधिकारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न निर्देशों के साथ प्रक्रिया शुल्क के लेखाओं की प्रतिमाह आंतरिक जांच कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत कर मिलान करना सुनिश्चित करेंगें :—
    - (i) प्रक्रिया शुल्क की राशि संकलन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग में पृथक बैंक खाता खोला जाये।
    - (ii) प्राप्त राशि एवं व्यय हेतु पृथक से लेखा कक्ष द्वारा रोकड़ बही तैयार की जाये।
    - (iii) प्रक्रिया शुल्क को ड्राफ्ट के माध्यम से ही प्राप्त किया जावे।
    - (iv) उक्त प्रक्रिया शुल्क इस कार्यालय को दिनांक 31.03.2019 के पश्चात् से लगातार प्रस्तुत होने वाले निर्वाचन प्रस्ताव पर लागू होगा।
    - (v) निर्वाचन कक्ष प्रभारी प्ररूप छ–2 के साथ संस्थावार प्राप्त प्रक्रिया शुल्क के ड्राफ्ट के विवरण को पंजी में संधारित करेंगे तथा प्रति दिवस लेखा कक्ष से पावती लेकर ड्राफ्ट प्रदान करेंगे। लेखा कक्ष प्राप्त ड्राफ्ट के विवरण की पंजी संधारित करेंगे।
    - (vi) लेखा कक्ष प्रति तीन दिवस में प्राप्त ड्राफ्ट को आयुक्त के प्रक्रिया शुल्क हेतु खोले गये पृथक बैंक खाते में जमा कराकर पावती रिकार्ड में सुरक्षित रखेंगे एवं दिन प्रतिदिन की कैश बुक संधारित करेंगे।
    - (vii) प्रति माह के प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को निर्वाचन कक्ष एवं लेखा कक्ष उन्हें प्राप्त ड्राफ्ट का मिलान करेंगे एवं मिलान सही होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्वाचन कक्ष एवं लेखा कक्ष संधारित पंजियों में अंकित कर हस्ताक्षरित करेंगे। मिलान में कोई बाधा होने के उपरांत आगामी तीन दिवस में अनिवार्यतः निराकरण कर सचिव को अवगत करावेंगे।
    - (viii) लेखा कक्ष प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस को बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर जमा ड्राफ्ट का मिलान करेंगे। मिलान में कोई बाधा होने के उपरांत आगामी तीन दिवस में अनिवार्यतः निराकरण कर कार्यालय प्रमुख को अवगत करावेंगे।

(ix) राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के पृथक खाते में जमा प्रक्रिया शुल्क संबंधी राशि का व्यय एवं खाते का संचालन आयुक्त एवं सचिव या लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से धनादेश के माध्यम से किया जायेगा।

(x) प्रक्रिया शुल्क से व्यय की जाने वाली राशि की स्वीकृति के अधिकार रूपये दस हजार तक सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर को एवं सम्पूर्ण वित्तीय अधिकार आयुक्त, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर (विभागाध्यक्ष) को होंगे।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

महिला थाना चौक, छोटापारा, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–4916001

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2023 / 28 रायपुर दिनांक 9 . .01.2023

// आदेश //

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2019 / 294, रायपुर दिनांक :20.02.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49–गग(1)(ख) के अनुसार सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन बाबत् लिखित अनुरोध के साथ ही निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा निम्न उल्लेखित कंडिका (2) की संस्थाओं हेतु कंडिका (3) में निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क विहित करता है :–

क्र.	संस्था का प्रकार	प्रक्रिया शुल्क
1	2	3
1.	(अ) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– उपभोक्ताभंडार / केन्टीन / दुग्ध / मत्स्य / कामगार / औद्योगिक श्रमिक / मुर्गीपालन / बुनकर / यातायात / बहुउद्देशीय / बीज उत्पादक	रूपये 1000
	(ब) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– गृह निर्माण / विपणन / सहकारी मुद्रणालय / प्राथमिक कृषि साख / गैर कृषि साख / आवास प्रबंधन / वनोपज एवं अन्य प्राथमिक समितियां।	रूपये 2000
	(स) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :– सहकारी शक्कर कारखाना	रूपये 10,000
2.	जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं :– सहकारी संघ / सहकारी केन्द्रीय बैंक / नागरिक बैंक / ज़िला थोक भंडार / जिला वनोपज यूनियन	रूपये 10,000
3.	राज्य / संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं	रूपये 15,000

प्रक्रिया शुल्क राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, के नाम से या उसके पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के खाता क्रमांक–103000722174 IFSC Code-CBIN0CGDCBN पर RTGS के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क जमा कर पावती की समन्वयक द्वारा सत्यापित प्रति के साथ निर्वाचन हेतु भेजे जाने वाले प्ररूप छ–2 के साथ अनिवार्यतः भेजा जाना एवं इसकी प्रविष्टि निर्धारित प्ररूप छ–2 की कंडिका (ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। **उक्त प्रक्रिया शुल्क दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् से लगातार प्रस्तुत होने वाले निर्वाचन प्रस्ताव पर लागू होगा।**

(सुनील कुमार कुजूर)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/रा.स.नि.आ./प्र.शु./2023/28 रायपुर दिनांक 9 .01.2023

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समन्वयक एवं अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव/अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कक्ष प्रभारी, लेखा कक्ष, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखाधिकारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि आयोग के आदेश क्रमांक 294, दिनांक 20.02.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

9/1/2023

आयुक्त

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग

रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
महिला थाना चौक, छोटापारा, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–4916001

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2024 / 757 रायपुर, दिनांक 10/05/2024

// आदेश //

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2023 / 28, रायपुर दिनांक 09.01.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं की निर्वाचन प्रक्रिया शुल्क राशि रूपये 15000.00 के स्थान पर रूपये 10000.00 विहित किया जाता है। शेष अन्य सहकारी संस्थाएं की निर्वाचन प्रक्रिया शुल्क राशि यथावत रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार कुजूर)
आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2024 / 757 रायपुर, दिनांक 10/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समन्वयक एवं अपर / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव / अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. कक्ष प्रभारी, लेखा कक्ष, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखाधिकारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि आयोग के आदेश क्रमांक 294, दिनांक 20.02.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

महिला थाना चौक, छोटापारा, रायपुर
(ई–मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771–4916001

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / समन्वयक / निर्देश–2 / 2023 / 1670 रायपुर दिनांक : 02.08.2023

प्रति,

समन्वयक एवं उप पंजीयक(समस्त)
सहकारी संस्थाएं (छ.ग.)

विषय :– आवासीय सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में निवासरत भू–खण्डधारी / भू–स्वामी की जानकारी प्रस्ताव के साथ अग्रेषित करने के संबंध में।

–––000–––

विषयांतर्गत अवगत होंगे कि आवासीय सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचन के दौरान सदस्यों से समिति द्वारा भू–खण्ड / भवन / पैलेट / व्यावसायिक ईकाई के संपतिधारक को सदस्य नहीं बनाये जाने के कारण लगातार विवाद / शिकायत प्राप्त होने से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है जिससे अनावश्यक रूप से न्यायालयीन कार्यवाहियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आवासीय सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचन हेतु अग्रेषित प्रस्ताव के साथ निम्न प्रारूप में जानकारी अनिवार्यतः संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रारूप

क्र	संस्था का नाम	पंजीकृत सोसाइटी के कार्यक्षेत्र मे आवासीय भू–खण्ड / भवन, पैलेट, व्यावसायिक ईकाई के संपतिधारको की कुल संख्या	सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के भू–स्वामी / संपति धारक जिन्होने सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की है, सदस्यों की कुल संख्या	सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के भू–स्वामी / संपति धारक जिन्होने सदस्यता ग्रहण नही की है, सदस्यों की कुल संख्या
1	2	3	4	5

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमती सावित्री भगत)
सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / रा.स.नि.आ. / समन्वयक / निर्देश–2 / 2023 / 1670 रायपुर दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपि :–

1. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं (समस्त) छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

महिला थाना चौक, छोटापारा, रायपुर
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-4916001

क्रमांक/रा.स.नि.आ./समन्वय/2025/ 412 रायपुर दिनांक : 20-08-2025

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50-ख की उप-धारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/आर-05/रा.स.नि.आ./2015/47, दिनांक 09.03.2015 को संशोधित करते हुए अधिनियम, नियम एवं इस कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु राज्य/संभाग/जिलों से समन्वय के लिए अधिकारियों को निम्न तालिका में उल्लेखित अनुसार "समन्वयक" नियुक्त करता है :-

क्र	राज्य/संभाग/जिला का नाम	नियुक्त किये गए अधिकारी पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	छत्तीसगढ़ राज्य	अपर/संयुक्त पंजीयक (निर्वाचन), सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़	ऐसी समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियां जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार एक संभाग से अधिक है।
2	रायपुर संभाग	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ संभाग-रायपुर	ऐसी समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियां जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार संबंधित राजस्व संभाग तक सीमित है।
3	बिलासपुर संभाग	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ संभाग-बिलासपुर	---तदैव---
4	दुर्ग संभाग	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ संभाग-दुर्ग	---तदैव---
5	अंबिकापुर संभाग	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ संभाग-अंबिकापुर	---तदैव---
6	जगदलपुर संभाग	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ संभाग-जगदलपुर	---तदैव---
7	रायपुर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला-रायपुर	ऐसी समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियां जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार संबंधित राजस्व जिला तक सीमित है।
8	महासमुंद जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला-महासमुंद	---तदैव---
9	धमतरी जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला-धमतरी	---तदैव---
10	बलौदाबाजार/ भाटापारा जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	---तदैव---

Scanned with OKEN Scanner

11	गरियाबंद जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–गरियाबंद	ऐसी समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियां जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार संबंधित राजस्व जिला तक सीमित है।
12	बिलासपुर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–बिलासपुर	---तदैव---
13	जांजगीर–चांपा जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–जांजगीर–चांपा	---तदैव---
14	सक्ती जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–सक्ती	---तदैव---
15	रायगढ़ जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–रायगढ़	---तदैव---
16	सारंगढ़ जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–सारंगढ़	---तदैव---
17	कोरबा जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–कोरबा	---तदैव---
18	मुंगेली जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–मुंगेली	---तदैव---
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	---तदैव---
20	दुर्ग जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–दुर्ग	---तदैव---
21	बालोद जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–बालोद	---तदैव---
22	बेमेतरा जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–बेमेतरा	---तदैव---
23	राजनांदगांव जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–राजनांदगांव	---तदैव---
24	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	---तदैव---
25	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–मोहला–मानपुर–अ.चौकी	---तदैव---
26	कवर्धा जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–कवर्धा	---तदैव---
27	अंबिकापुर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–अंबिकापुर	---तदैव---
28	जशपुर जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–जशपुर	---तदैव---

Scanned with OKEN Scanner

29	बलरामपुर जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–बलरामपुर	ऐसी समस्त प्रकार की सहकारी सोसाइटियां जिनके कार्यक्षेत्र का विस्तार संबंधित राजस्व जिला तक सीमित है।
30	कोरिया जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–कोरिया	---तदैव---
31	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	---तदैव---
32	सूरजपुर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–सूरजपुर	---तदैव---
33	जगदलपुर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–जगदलपुर	---तदैव---
34	कांकेर जिला	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–कांकेर	---तदैव---
35	दन्तेवाड़ा जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–दंतेवाड़ा	---तदैव---
36	नारायणपुर जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–नारायणपुर	---तदैव---
37	सुकमा जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–सुकमा	---तदैव---
38	बीजापुर जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–बीजापुर	---तदैव---
39	कोण्डागांव जिला	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला–कोण्डागांव	---तदैव---

टीप :– जिलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवगठित जिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की सहकारी समितियों के निर्वाचन संबंधी दस्तावेज, यदि पूर्ववर्ती जिलों में संधारित है, तो उसे प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर दिनांक 20-08-2025

पृ.क्रमांक/रा.स.नि.आ./समन्वय/2025/ 412

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग., नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़।
5. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं उप/सहायक पंजीयक, सह. संस्थाएं, समस्त जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner